प्राक्कथन

1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों के लेखाओं को (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी मानी जाने वाली कंपनियों सहित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षित किया जाता हैं। कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियां वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हैं। इसके अलावा, ये कंपनियां सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियाँ उनके लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने को आवश्यक बनानी है। ऐसे पाँच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के संबंध में प्रासंगिक संविधियों में, सीएजी को उनका एकल लेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया हैं। एक निगम अर्थात केन्द्रीय भंडारण निगम के संबंध में, सीएजी के पास निगम को शासित करने वाली संविधि के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद पूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक एवम महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत, जैसा कि 1984 में संशोधित किया गया था, सरकार को किसी सरकारी कंपनी या निगम के लेखों के संबंध में प्रतिवेदन सीएजी द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैं।

4. वर्ष 31 मार्च 2018 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 11 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण में 37 सीपीएसई से संबंधित 54 अलग लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण उन में से हैं जो 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए थे साथ ही साथ जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे। कुछ मामलों में मार्च 2018 के बाद लेनदेन के लेखापरीक्षा परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।

5. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों / निगमों या सीपीएसई' के लिए सभी संदर्भ 'केंद्र सरकार की कंपनियों/ निगमों' के लिए संदर्भ माना जा सकता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

6. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षित मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।